

**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
हिमाचल प्रदेश ।**

विभाग में जनता को दी जाने वाली सुविधाओं की विवरणिका :

समय तालिका : प्रदेश के सभी संस्थान में अस्पताल (क) 9.30 सुबह से 4 बजे शाम तक ।
(ख) दफतर : 10 बजे सुबह से शाम 5 बजे तक

विशेष : (क) अस्पताल में आये रोगी का उसी दिन से उपचार शुरू हो जाता है जिस दिन से वह आता है ।

(ख) हर स्वास्थ्य उप केन्द्र सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक हर कार्य दिवस में कार्य करता है एवं खुलता है ।

(ग) आपात सेवाएं : सभी अस्पताल जैसे कि मैडिकल कालेज, जोनल अस्पताल, जिला अस्पताल, सिविल अस्पताल, एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र : सभी में स्तरानुसार आपात सेवाएं दिन रात उपलब्ध करवाई जाती हैं ।

(घ) निम्नलिखित लाईसैंस एवं प्रमाण पत्र समयबद्ध ढंग से जारी किये जाते हैं जैसे :

1. प्रतिलिपि मैडिको लीगल प्रमाण पत्र कार्यदिवस के कार्य समय के दौरान
2. प्रतिलिपि पोस्ट मार्टम रिपोर्ट – यथोपरि–
3. मृत्यु एवं जन्म प्रमाण पत्र पंचायत सचिव अथवा समकक्ष जारी करता है अतः स्वास्थ्य विभाग की परिधि में नहीं आता ।
4. खाद्य एवं दवाईयों का लाईसैंस नियमानुसार अवधि में दिया जाता है ।
5. अस्वस्था प्रमाण पत्र स्वास्थ्य परीक्षक की उपलब्धता अनुसार उसके द्वारा यथाशीघ्र जारी होगा ।
6. अपंगता प्रमाण पत्र मैडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित कार्य दिवस पर ।
7. नौकरी के लिये स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मैडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित स्तर पर दर्शाये गये मापदण्डानुसार नियमित एवं तदर्थ– सभी जिला स्तर पर बोर्ड द्वारा दैनिक भोगी व अंशकालिक– निर्धारित माप दण्डानुसार ।
8. नसबंदी शल्य के तीन माह उपरांत सफल परीक्षण पर
9. नलबंदी आपरेशन के तुरंत बाद ।
10. आयु प्रमाण पत्र क) नौकरी के लिये – नियमावली में व्याख्यानुसार । (ख) मैडिकोलीगल रेडियोलॉजिस्ट द्वारा (उपलब्धतानुसार) । (ग) वृद्धावस्था । दिन में कार्य समय के दौरान ।
11. रैफरल कार्ड तुरंत उपलब्ध करवाया जाता है ।
12. प्राथमिक उपचार प्रमाण पत्र एक माह की टेनिंग एवं मैडिकल फिटनेस के साथ कार्यदिवस पर ।
13. चालक एवं परिचालक मैडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र जरूरी सुविधाएं जैसे आंखों के, ई.एन.टी, एवं प्रयोगशाला की सेवाओं की (उपलब्धतानुसार) अगर उपलब्ध हो तो उसी दिन ।

रोगी संबंधित :

1. रोगी का पंजीकरण (क) आपात तुरंत (ख) सामान्य आधे घंटे के अंदर
2. चिकित्सा परीक्षण आपात तुरंत, सामान्य एक घंटे के अंदर (चिकित्सकों की उपलब्धतानुसार)
3. अस्पताल में दाखिला (admission) जरूरत के अनुसार तुरंत
4. आपात काल में बुलाना नर्स या प्रशासन की काल पर निर्भर
5. डिस्चार्ज कार्ड दाखिल रोगियों का राउंड खत्म होने के बाद, 3 घंटे के अंदर

मैडिको लीगल संबंधित :

1. मैडिको लीगल परीक्षण पुलिस द्वारा प्रस्तुत करने पर तुरंत ।
2. पोस्ट मार्टम परीक्षण पुलिस द्वारा प्रस्तुति पर, सिर्फ दि की रोशनी में ।

लोकमित्र केन्द्र द्वारा निम्नलिखित सेवाएं दी जा सकती हैं :

1. प्रतिलिपि मैडिको लीगल प्रमाण पत्र
2. प्रतिलिपि पोस्ट मार्टम
3. निवेदन पत्र खाद्य
4. निवेदन पत्र दवाईयां ।
5. प्रतिलिपि अपंगता प्रमाण पत्र ।
6. निवेदन पत्र—
मैडिकल काउंसिल
नसिंग काउंसिल
फार्मसी काउंसिल
पैरा मैडिकल काउंसिल
7. कर्मचारियों की सेवा पंजियों को इंटरनेट पर समन्वय करना ।